—: निर्णय :—

दिनांकः—

अधिवक्ता प्रार्थी श्री अर्जुन सिंह नरूका द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थी एक कृषक पेशा व्यक्ति है तथा कुम्हारावाली ढाणी हाल वार्ड न. 22 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ का मूल निवासी है।

यह कि मिन प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी.के. डब्ल्यू के खाता सं. 288 / 209 प.नं. 16 / 219 के कि.नं. 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक. अनकमाण्ड, प.न 17 / 219 के किला न. 1 / 1 / .215, 1 / 2 / .038, 2, 9, 10 / 1 / .215, 10 / 2 / .038, 11 / 1 / .215, 11 / 2 / .038, 12 की 2.178 दोनो पत्थरो की कुल 5.313 हैक. अनकमाण्ड मय गैर मु. रास्ता जिसमें प्रार्थी का 664 / 15939 हिस्सा कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता स. 372 / 324 के प.न. 16 / 219 के किला न. 16 ता 25 की 2.530 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें मिन प्रार्थी का 1 / 24 हिस्सा. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।

यह कि उक्त कृषि भूमि मिन प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टी. के. डब्ल्यू के खाता स. 288 / 209 में वर्णित कृषि भूमि में मिन प्रार्थी का नाम सहवन से रिछपाल पुत्र रजीराम दर्ज रिकार्ड हो गया है, जो सही नही है, तथा इसी चक के खाता स. 372 / 324 में भी मिन प्रार्थी का नाम रिछपाल पुत्र रजीराम सहवन से दर्ज रिकार्ड हो गया जो भी सही नही है, मिन प्रार्थी का बोल चाल की भाषा में घरेलू नाम रिछपाल है, जबकि मिन प्रार्थी का सही व रिकार्डेड नाम लालचंन्द पुत्र रजीराम है, लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अर्थात उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में मिन प्रार्थी का नाम सहवन से बोल चाल की भाषा वाला नाम रिछपाल पुत्र रजीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड हो गया है, मिन प्रार्थी का सही व जायज नाम लालचंन्द पुत्र रजीराम है, मिन प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में मिन प्रार्थी का सही नाम लालचंन्द पुत्र रजीराम ही लिखा गया है, तथा वही नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम व पता लालचंन्द पुत्र रजीराम जाति कुम्हार साकिन कुम्हारावाली ढाणी हाल वार्ड न. 22 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ दर्ज रिकार्ड करवाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी तहसीलदार पीलीबंगा को भूमि का भू–धारक होने के कारण तथा उनकी उक्त प्रकरण में अहम जवाबदेही होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 3 टी.के.डब्ल्यू के खाता स. 288/209 के प.न. 16/219 की कुल 3.795 हैक., प.न. 17/219 की 2.178 हैक. अ.क. मय गैर मु. रास्ता जिसमें मिन प्रार्थी का 664/15939 हिस्सा तथा इसी चक के खाता स. 372/324 के प.न. 16/219 की कुल 2.530 हैक. अ.क. जिसमें मिन प्रार्थी का 1/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है में प्रार्थी का नाम सहवन से रिछपाल पुत्र रजीराम जाति कुम्हार साकिन कुम्हारावाली ढाणी लिखा गया है, को दस्तावेजो के राजस्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त कर लालचन्द पुत्र रजीराम जाति कुम्हार साकिन कुम्हारावाली ढाणी हाल वार्ड न. 22 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश फरमाये

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी/तहसीलदार पीलीबंगा को पत्र प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 1132 दिनांक 06.05.25 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 3 टीकेडब्ल्यू के प० न० 16/219 (107) व प० न० 17/219 (106) योग 5.313 है. अ.क. मय गै.मु. खातेदार भूमि में से 644/6939 हिस्सा व खाता स. 372 प. न. 16/219 (107) कि.न० 16 ता 25 योग 2.530 है. अ.क. भूमि गैर–खातेदार भूमि में से 1/24 हिस्सा रिछपाल पुत्र रजीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० कुम्हारांवाली ढाणी मुलाबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी को जरिये ई.न. 283 दिनांक 09–04–2002 दस्तवरदारी से रिछपाल पुत्र रजीराम जाति कुम्हार सा० उमेवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुयी थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज – आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व बैंक पास में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र रजीराम दर्ज है।

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संयुक्त खाता में रिकार्डिड खातेदार है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर तहसील पीलीबंगा के चक 3 टीकेडब्ल्यू के प० न० 16/219 (107) व प० न० 17/219 (106) योग 5.313 है. अ.क. मय गै.मु. खातेदार भूमि में से 644/6939 हिस्सा व खाता स. 372 प. न. 16/219 (107) कि.न० 16 ता 25 योग 2.530 है. अ.क. भूमि गैर–खातेदार भूमि में से 1/24 हिस्सा रिछपाल पुत्र रजीराम राजस्व रिकॉर्ड के स्थान पर लाल चंद पुत्र रजीराम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/3/26 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा